



# डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक: सम्ब0 / ...300/...2024

दिनांक.....2/08/2024

सेवा में,

प्राचार्य, / प्राचार्या,  
प्रबन्धक / सचिव,  
सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषय:—नवीन महाविद्यालय एवं पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन विषय/पाठ्यक्रम में शिक्षक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे महाविद्यालय जिनको नवीन/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन विषय/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्राप्त हुई है ऐसे समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार 24 अगस्त, 2024 तक शिक्षक अनुमोदन सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुये पत्रावली अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा की स्थिति में शासन/विश्वविद्यालय के निर्देशों की अवहेलना मानते हुये विश्वविद्यालय स्तर से किसी भी कार्यवाही के लिये महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

उक्त के साथ-साथ नवीन महाविद्यालय प्रबन्ध समिति अनुमोदन सम्बन्धित पत्रावली अतिशीघ्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध करायेंगे एवं पूर्व से संचालित स्थायी/अस्थायी महाविद्यालय जिनकी प्रबन्ध समिति/शिक्षक अनुमोदन कालातीत हो चुके हैं, की नियमानुसार कार्यवाही/पत्रावली तैयार करते हुये एक सप्ताह में पत्रावली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. प्रभारी कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. प्रभारी वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालय की लॉगिन में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।

कुलसचिव